

प्रारूप 6
{नियम 13 (1) और 26 देखिए}

| निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,विधान सभा / संसदीय [£] निर्वाचन-क्षेत्र | | हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 से0मी0 x 3.5 से0मी0), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान | | |
| महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए । निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्योरे नीचे दिये गये हैं । | | | | |
| I. आवेदक का ब्योरा | नाम (हिन्दी में) | | उपनाम (यदि कोई है) (हिन्दी में) | |
| | नाम अग्रेजी में (Capital Letter में) | | उपनाम (यदि कोई है) अग्रेजी में (Capital Letter में) | |
| 1 जनवरी..... [#] को आयु | वर्ष: | मास: | लिंग (पुरुष / स्त्री / अन्य): | |
| जन्म तिथि, यदि ज्ञात है: | दिन: | मास: | वर्ष: | |
| जन्म का स्थान: | ग्राम / नगर: | | | |
| | जिला: | राज्य: | | |
| *पिता / माता / पति का नाम | नाम (हिन्दी में) | | उपनाम (यदि कोई है) (हिन्दी में) | |
| | नाम अग्रेजी में (Capital Letter में) | | उपनाम (यदि कोई है) अग्रेजी में (Capital Letter में) | |
| II. मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण (पूरा पता) | | | | |
| मकान / गृह संख्या: | | | | |
| गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / | | | | |
| मोहल्ला / सड़क: | | | | |
| नगर / ग्राम: | | | | |
| डाकघर: | पिन कोड | | | |
| तहसील / तालुक / मंडल / थाना: | | | | |
| जिला: | | | | |
| मोबाईल नम्बर : | | ई-मेल आई0डी0 : | | |
| III. निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के परिवार के सदस्य(यों) का ब्योरा: | | | | |
| नाम | आवेदक के साथ सम्बंध | निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली की भाग संख्या | उस भाग में क्रम संख्या | निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र संख्या |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

£ उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में ।

कृपया वर्ष उल्लिखित करें जैसे 2011, 2012 आदि ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

IV. घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- (i) मैं भारत का नागरिक हूँ ;
- (ii) मैं..... (तारीख, मास, वर्ष) से उपर्युक्त भाग-II में दिए गए पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ ;
- (iii) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ;
- (iv) *इस या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है

या

*मेरा नाम राज्य के निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए ।

| | |
|---|--|
| पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान) | निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या (यदि पहले से ही जारी है) |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | जारी करने की तारीख-_____ |

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान
कृपया अपना मोबाईल नम्बर या ई-मेल आई.डी. यथास्थान अंकित करने का कष्ट करें

टिप्पणी:- कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विष्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विष्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है)**

श्री / श्रीमती / कुमारी..... के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्रारूप 6 में दिये गये आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है / *नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने [नियम 18 / 20* / 26(4)[‡] के अधीन या उसके अनुसरण में] या *नामंजूर करने [नियम 17 / 20* / 26(4)[‡] के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण:

| | | |
|---------|--|---|
| स्थान: | | |
| दिनांक: | निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर | (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर) |

[‡] निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय अधिकारी (अर्थात् बूथ लेबल आफिसर, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां

कृत कार्यवाही की सूचना
(इस पेज का भाग-II संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा एवं आवेदक द्वारा भाग-I में दिये गये पते पर भेजा जायेगा)

.....प्रथम मोड़.....

भाग-I

डाक प्रेषण हेतु
निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी डाक
टिकट यहां
चिपकाया जाय

प्रारूप-6 पर **श्री / श्रीमती / कुमारी.....का आवेदन पत्र

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ** (पूरा नाम) | | | | | | | | | |
| मकान / दरवाजा नम्बर : | | | | | | | | | |
| स्ट्रीट / क्षेत्र / मुहल्ला / रोड़ : | | | | | | | | | |
| नगर / ग्राम का नाम : | | | | | | | | | |
| पोस्ट आफिस : | पिन कोड : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| तहसील / तालुका / : मण्डल / थाना | | | | | | | | | |
| जिला : | | | | | | | | | |
| मोबाईल नम्बर : | ई-मेल आईडी0 | | | | | | | | |

**आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

.....द्वितीय मोड़.....

भाग-II

- (क) श्री / श्रीमती / कुमारी..... द्वारा प्रारूप-6 पर प्रस्तुत आवेदन / दावा स्वीकृत कर लिया गया है एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (की संख्या एवं नाम).....के भाग संख्या.....के क्रमांक.....पर पंजीकृत कर लिया गया है।
- (ख) आवेदन / दावा अस्वीकृत कर लिया गया है। कारण

दिनांक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(पता).....

..... छिद्रण.....

प्रारूप-6 पर प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

**श्री / श्रीमती / कुमारी

**पता

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने
वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

(पता).....

* * आवेदक द्वारा भरा जाए ।

आवेदन प्रारूप-6 भरने के लिए दिशा-निर्देश
सामान्य अनुदेश

प्रारूप-6 कौन दाखिल कर सकता है

1. उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो पहली बार आवेदन दे रहा है।
2. किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत वह निर्वाचक जिसका मामूली तौर पर निवास स्थान अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है।

प्रारूप-6 कब दाखिल किया जा सकता है

1. निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।
2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
3. नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर-पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

प्रारूप-6 कहां दाखिल किया जाए

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थानों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थलों पर), जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ-साथ निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल किया जा सकता है।
2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है।

प्रारूप-6 कैसे भरे

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। खाली स्थान में निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. **नाम (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)**
नाम, जैसा कि उसे निर्वाचक नामावली तथा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) में होना चाहिए, उल्लिखित किया जाना चाहिए। उपनाम को छोड़कर पूरा नाम पहले खाने में लिखा जाना चाहिए तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिए। आपका उपनाम नहीं होने की दशा में केवल दिया गया नाम ही लिखें। ऐसे मामले, जहां जाति के नाम का उल्लेख निर्वाचक के नाम या उपनाम के अंश के रूप में प्रयुक्त है को छोड़कर, अन्यत्र नहीं किया जाना चाहिए। सम्मान सूचक पदवियों जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।
3. **उम्र (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)**
उस वर्ष की 1 जनवरी, जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, को आवेदक की उम्र अठारह वर्ष या अधिक होनी चाहिए। उम्र वर्ष और महीनों में दर्शायी जानी चाहिए।
उदाहरण के रूप में वह व्यक्ति जिसका जन्म 01.01.1991 को या उसके पहले हुआ है, 01.01.2009 के संदर्भ में पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराए जाने का पात्र होगा। जिस व्यक्ति का जन्म 02.01.1991 या उसके बाद तथा 01.01.1992 तक हुआ है, वह 01.01.2010 के संदर्भ में होने वाले पुनरीक्षण के संदर्भ में नाम सम्मिलन के लिए पात्र होगा।

4. लिंग

दिए गए स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, जैसे कि पुरुष/महिला। यदि आवेदक पुरुष या महिला का उल्लेख करना नहीं चाहते तो वे अपने लिंग को "अन्य" लिख सकते हैं।

5. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

जन्म तिथि को दिनांक/माह/वर्ष इस क्रम में निर्धारित स्थान में अंकों में भरें। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें:-

- (i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म व मृत्यु पंजीकरण के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र या बैप्टीजम प्रमाण-पत्र; या
- (ii) आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अतिम (सरकारी/मान्यता प्राप्त) विद्यालय या अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र; या
- (iii) अशिक्षित या अल्प शिक्षित आवेदक को जिनके पास उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं हैं, अपने माता या पिता, जिनका नाम पहले से ही निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, द्वारा आवेदक की आयु के समर्थन में विहित प्रारूप में एक घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा। विहित प्रारूप मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

टिप्पणी:-

आवेदक की जन्म तिथि 26.01.1989 को या उसके बाद होने की स्थिति में, केवल नगरपालिका प्राधिकारियों या जन्म-मृत्यु पंजीकरण जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र ही स्वीकार्य होगा।

6. जन्म स्थान

जन्म स्थान भारत में होने की दशा में, कृपया स्थान का नाम जैसे ग्राम/शहर, जिला, राज्य का उल्लेख करें।

7. परिवार के अन्य सदस्य का नाम:

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम का उल्लेख किया जाए। इस स्तंभ से अनुपयुक्त विकल्पों को काट दें।

8. वर्तमान मामूली तौर से निवास का स्थान

दिए गए स्थान में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक-पता उल्लिखित करें, जहां आप मामूली तौर से निवास करते हैं तथा पंजीकरण कराना चाहते हैं।

वर्तमान मामूली तौर से निवास स्थान के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें:

- (i) बैंक/किसान/डाक-घर का चालू पासबुक, या
- (ii) आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर निर्धारण आदेश; या
- (iii) आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल; या
- (iv) डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई/सुपुर्द की गई डाक।

टिप्पणी:-

यदि कोई आवेदक पते के प्रमाण के रूप में केवल राशन कार्ड प्रस्तुत करता है, तो उसे उपर्युक्त में से एक और प्रमाण संलग्न करना होगा।

9. निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित परिवार के सदस्यों के ब्योरे कृपया निकट पारिवारिक संबंधियों जैसे पिता/माता/भाई/बहन/पति/पत्नी का नाम व अन्य ब्योरे उल्लिखित करें जिनको वर्तमान निर्वाचक नामावली में शामिल कर लिया गया है। किसी अन्य सम्बंधी जैसे चाचा, चाची, चचेरे भाई/बहन आदि के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना है।

10. घोषणा

कृपया उस तिथि को इंगित करें, जब से आप दिए गए पते पर निवास कर रहे हैं। यदि निश्चित तिथि, ज्ञात न हो तो महीना व वर्ष का उल्लेख करें।

यदि आपका नाम पहले ही किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा चुका है, तो कृपया पिन कोड के साथ अपना पूर्व का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। यदि आपके पास पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र है, तो कृपया पहचान पत्र का क्रमांक (सामने की ओर मुद्रित) एवं उसके जारी होने की तिथि (पीछे की ओर मुद्रित) आवेदन पत्र के प्रदत्त स्थान में उल्लिखित करें। कृपया पहचान पत्र के दोनों तरफ की छायाप्रति स्वअभिप्रेमाणित कर संलग्न करें।

विविधकर्ष स्थानों पर निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की फोटो भी मुद्रित है। आपके पास प्रारूप के साथ एक पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो जमा करने का विकल्प है। यदि अपेक्षित हुआ, तो इस फोटोग्राफ का उपयोग निर्वाचक नामावली पर आपकी छवि मुद्रित करने तथा फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिये किया जाएगा। कृपया रसीद एवं सूचना वाले भाग प्राप्त वाले भाग पर अपना पूरा नाम एवं पता अवश्य अंकित करें।

कृपया प्रारूप पर यथास्थान अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 (optional) अंकित करने का कष्ट करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक से सम्पर्क किया जा सके।